



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 07.02.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त समीर खान को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम व अपहृताओं की सकुशल बरामदगी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.02.2021 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 47/21 धारा 363/366 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त समीर खान पुत्र स्व0 रफीक नि0 ग्राम खमरिया पंडित थाना ईसानगर खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटियों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.02.2021 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 361/17 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वारंटी अभियुक्त 1.बच्चालाल पुत्र मैकू निवासी चहलार थाना ईसानगर जनपद खीरी एवं मु0अ0सं0 128/90 धारा 147/148/149/363/366/342 भादवि से संबंधित वारंटी अभियुक्त 2.रामस्वरुप पुत्र नान्हू पासी निवासी मिर्जापुर थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस बरामद कर अभियुक्त गुलशन सिंह को गिरफ्तार किया गया



प्रेस नोट

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद लखीमपुर द्वारा चलाये गये अवैध शस्त्र बरामदगी अभियान के अन्तर्गत दिनांक 06/02/2021 को समय 17.05 बजे थाना हैदराबाद के उ0नि0 शशि शेखर यादव व का0 आशीष वर्मा के द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान गुलशन सिंह उर्फ जनमेजे सिंह पुत्र कलक्टर सिंह निवासी ग्राम बघमरा थाना हैदराबाद खीरी को वहद ग्राम बघमरा से गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुये है। उक्त अभियुक्त द्वारा तमन्चा के साथ अपना फोटो फेस बुक पर अपलोड करके वायरल किया गया था। अवैध शस्त्र व अवैध कारतूस बरामदगी के संबन्ध मे थाना हैदराबाद मु.अ.सं.33/2021 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण:-

गुलशन सिंह उर्फ जनमेजे सिंह पुत्र कलक्टर सिंह निवासी ग्राम बघमरा थाना हैदराबाद खीरी।
गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 शशि शेखर यादव थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
2. का0 आशीष वर्मा थाना हैदराबाद जनपद खीरी।

थाना पलिया पुलिस द्वारा 11 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



दिनांक 6/2/2020 को पुलिस अधीक्षक खीरी व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक खीरी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पलिया व प्रभारी निरीक्षक पलिया श्री भानु प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये गये वांछित/वारण्टी अभियान में 30नि० उग्रसेन सिंह 30नि० मनवीर सिंह 30नि० मो० अनीष मय थाना स्थानीय के फोर्स के साथ 11 वारण्टी 1. सागर पुत्र मनोहर नि० चम्बरबोझ थाना पलिया खीरी वाद सं० 3474/16 धारा 60(2) आब० अधि० ता० पेशी 16.03.2021 2. शत्रोहन पुत्र रामधार नि० चम्बरबोझ थाना पलिया खीरी वाद सं० 6106/16 धारा 60(2) आब० अधि० ता० पेशी 16.03.2021 3. शत्रोहन पुत्र रामधार नि० चम्बरबोझ थाना पलिया खीरी वाद सं० 3764/16 धारा 60(2) आब० अधि० ता० पेशी 23.03.2021 4. कैलास पुत्र रामधार नि० चम्बरबोझ वाद सं० 6107/16 धारा 60(2) आब० अधि० ता० पेशी 16.03.2021 5. राजू पुत्र अर्जुन नि० चम्बरबोझ थाना पलिया खीरी वाद सं० 6067/20 धारा 60(2) आब० अधि० ता०पेशी 15.02.2021 6. चुन्नीलाल पुत्र सुकई नि० चम्बरबोझ थाना पलिया खीरी वाद सं० 4267/16 धारा 60 आब०अधि० ता०पेशी 04.03.2021 7. रामनयन पुत्र छट्टू चमार नि० फुलवरिया थाना पलिया वाद सं० 13631/09 धारा 323/504/506 भादवि 8. राममूर्ति पुत्र मोहनलाल राठौर नि० बडापतवारा थान पलिया खीरी वाद सं० 9202/16 धारा 60 आब०अधि० ता०पेशी 20.03.2021 सीजेएम कोर्ट खीर 9-. विमलेस पुत्र मेलाराम निग० बसंतापुर कला थाना पलिया खीरी वाद सं० 11456/10 धारा 9/27/31/35(6)/39/49 WLP F ACT ता०पेशी 25.3.2021 10. बलराम पुत्र मैकू नि० बसन्तापुर कला थाना पलिया खीरी वाद सं० 64551/10 धारा 9/51/27/35(1) WLP F ACT ता० पेशी 23.03.2021 11. नन्दलाल पुत्र सियाराम नि० कोरियाना थाना पलिया खीरी वाद सं० 3759/16 धारा 60/63 आब०अधि० ता०पेशी 23.03.2021 सी०जे०एम० कोर्ट खीरी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटियों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा ग्राम बाईकुआ से 02 वारंटियों 1. तोताराम पुत्र छोटेलाल निवासी बाइकुआं थाना मैगलगंज जनपद खीरी संबंधित मु0अ0सं 12/19 धारा 323/504/506 भादवि व 2. रजनीश उर्फ बड़क्के पुत्र डीलचंद निवासी बाईकुआ थाना मैगलगंज जनपद खीरी संबंधित मु0अ0सं0 382/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है।

थाना निघासन पुलिस द्वारा 130 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 03

अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06/07.02.2021 को थाना निघासन पुलिस द्वारा ग्राम मदनापुर, ग्राम रानीगंज, ग्राम लुधौरी, ग्राम बाबागंज, ग्राम बैरिया, ग्राम निषादनगर ग्राम, मूड़ाबुजुर्ग व आस पास के जंगल व क्षेत्र में संघन अभियान चलाकर करीब 10,000 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया है। अभियान के दौरान 03 व्यक्ति 1. रंजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी ग्राम रानीगंज कोतवाली निघासन खीरी 2. रोशन निषाद पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम निषादनगर म0 मूड़ाबुजुर्ग कोतवाली निघासन खीरी 3. बलराम पुत्र मुनई निवासी ग्राम बाबागंज कोतवाली निघासन खीरी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से मौके पर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गई है। तीनों व्यक्तियों के पास से कुल करीब 130 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गई है। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग विवरण

- 1.मु0अ0सं0 55/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम रोशन निषाद पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम निषादनगर म0 मूड़ाबुजुर्ग कोतवाली निघासन खीरी
- 2.मु0अ0सं0 56/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम रंजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी ग्राम रानीगंज कोतवाली निघासन खीरी
- 3.मु0अ0सं0 57/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम बलराम पुत्र मुनई निवासी ग्राम बाबागंज कोतवाली निघासन खीरी

बरामदगी

130 लीटर कच्ची देशी शराब व शराब बनाने के उपकरण ।

थाना निघासन पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस बरामद कर अभियुक्त शहीद पुत्र खलील को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.02.2021 को थाना निघासन पुलिस द्वारा साइफन टापरपुरवा नहरपुल बहदग्राम टापरपुरवा से अभियुक्त शहीद पुत्र खलील निवासी ग्राम टापरपुरवा मजरा पढुवा कोतवाली निघासन जनपद खीरी को 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है। जिसके संबंध में थाना निघासन पर अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

पंजीकृत अभियोग विवरण

मु0अ0सं0 58/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम शहीद पुत्र खलील निवासी ग्राम टापरपुरवा मजरा पढुवा कोतवाली निघासन जनपद खीरी

बरामदगी विवरण

01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के आदेश के अनुपालन जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 07/01/2021 को कोतवाली तिकुनियाँ पुलिस टीम द्वारा दौराने गस्ता/क्षेत्र भ्रमण गैंगेस्टर कोर्ट में वांछित जो मा० न्यायालय के तलब करने पर उपस्थित नहीं हो रहा था, एक नफर अभियुक्त विनय पुत्र नेकप्रसाद उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बनबीरपुर थाना तिकुनियाँ जनपद खीरी सम्बन्धित वारण्ट मु०नं० 797-2008 धारा- 2/3 गैंगेस्टर ACT पेशी दिनांक 23.02.2021 न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तखीमपुर खीरी को ग्राम बनबीरपुर से गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. विनय पुत्र नेकप्रसाद उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बनबीरपुर थाना तिकुनियाँ जनपद खीरी ।

आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 103/2008 धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना सिंगाही जनपद खीरी ।

2-मु०अ०सं० 10/2008 धारा 382/304 भादवि थाना सिंगाही जनपद खीरी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. उ०नि० श्री अंसार हुसैन रिजवी | - | कोतवाली तिकुनियाँ जनपद खीरी । |
| 2. का० सत्यप्रकाश | - | कोतवाली तिकुनियाँ जनपद खीरी । |
| 2. का० राजकुमार | - | कोतवाली तिकुनियाँ जनपद खीरी । |
| 2. हो०गा० अमर सिंह | - | कोतवाली तिकुनियाँ जनपद खीरी । |

थाना निघासन पुलिस द्वारा 04 नफर वारंटियों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत थाना निघासन पुलिस द्वारा 04 वारंटियों 1. विनोद पुत्र रामाश्रय निवासी बोधिया खुर्द कोतवाली निघासन जनपद खीरी सम्बन्धित अप0 संख्या 974/2009 धारा 379/147/148/149/353/411 भादवि 2. रामनरेश गौतम पुत्र श्रीपाल नि0 ग्राम मदनापुर कोतवाली निघासन खीरी सम्बन्धित केश नं0 120/2016 धारा 363/366/376/342/368/120ए/34 भादवि व 3/4 पोकसो एक्ट 3.सर्वेश पुत्र रामनरेश नि0ग्राम मदनापुर कोतवाली निघासन खीरी सम्बन्धित केश नं0 120/2016 धारा 363/366/376/342/368/120ए/34 भादवि व 3/4 पोकसो एक्ट 4.संदीप शाक्य पुत्र पुतन शाक्य निवासी कस्बा व कोतवाली निघासन खीरी सम्बन्धित केश नं0 21/2019 धारा 2/3 यू0पी0गैंगस्टर एक्ट को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है।

थाना मितौली क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर नगरा में 2015 में हुई हत्या की वारदात में लखीमपुर खीरी न्यायालय द्वारा 04 सगे भाइयों को सुनाई उम्रकैद की सजा

दिनांक 09.07.2015 में थाना मितौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोहम्मदपुर नगरा गांव के रहने वाले बलवीर की बकरी गांव के ही राकेश के गन्ने के खेत में चली गयी थी इसी बात को लेकर रात करीब 08 बजे राकेश ने बलवीर को गालिया दी जब बलवीर द्वारा विरोध किया गया तो राकेश बांका लेकर, उसका भाई कैलाश और बलधारी तमंचा लेकर, जसवन्त लाठी लेकर आ गये और बलवीर को मारने लगे। शोर पर बलवीर का भाई अच्छे लाल व दाउ का लड़का रुपराम बचाने आया तो कैलाश व बलधारी ने तमंचे से फायर कर दिया जिससे अच्छेलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई और बलवीर व रुपराम गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। विवेचना के बाद आरोपत्र कोर्ट में दाखिल होने पर अभियोन द्वारा मामले को साबित करने को सार्थक प्रयास व विवेचक टीएन दुबे एवं विवेचक प्रमोद कुमार सिंह के कार्य कुशलता के कारण आरोपी चारों सगे भाइयों को हत्या और जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा व दो आरोपियों कैलाश और बलधारी को नाजायज असलहा रखने का भी दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन साल के कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा अलग से सुनाई।

**थाना पलिया पुलिस द्वारा 01 किलो 670 ग्राम गांजा व 1 किलो 910 ग्राम
डोडा चूर्ण बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पलिया पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों 1. श्यामू पुत्र रामेश्वर प्रसाद नि० कचनारा थाना भीरा जनपद खीरी 2. गौरव शर्मा उर्फ भानू नि० श्री कृष्ण 3. शारदा प्रसाद पुत्र भगवानदीन नि० गण दौलतपुर थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1670 ग्राम गांजा, 1910 ग्राम डोडा चूर्ण व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना पलिया पर मु०अ०सं० 48/21 धारा 8/15/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 80 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर
अभियुक्त अंकित मिश्रा को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित मिश्रा पुत्र बांके लाल मिश्रा नि० मो० नवयनपुर थाना खुटार जनपद शहाजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 80 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली सदर पर मु०अ०सं० 104/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 03

अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 03 अभियुक्तों 1. अतुल शर्मा पुत्र राम गोपाल 2. बलराम उर्फ कल्लू पुत्र रामदयाल नि०गण तेतारपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी 3. पृथ्वीलाल पुत्र लालजी नि० अचाकापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे 52 अदद ताश के पत्तें व कुल 800 रुपये बरामद किए गए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना फूलबेहड़ पर मु०अ०सं० 52/21 धारा 13 जुआं अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अ०सं० 221/10 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त सुमित यादव पुत्र राकेश यादव नि० बंसला थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अ०सं० 3386/19 धारा 344 सीआरपीसी में वारंटी अभियुक्त रामकुमार यादव पुत्र नीवर नि० शिव काँलोनी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा अ०सं० 772/08 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त विनय पुत्र नेक प्रसाद नि० बनवीरपुर थाना तिकुनिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना ईशानगर पुलिस द्वारा अ०सं० 39/01 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त श्रीकान्त पुत्र लालता प्रसाद नि० वंशी बेली थाना ईशानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अ०सं० 553/18 धारा 60 आबकारी अधि० में वारंटी अभियुक्त रजनीश पुत्र बडक्के नि० बाईकुआँ थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अ०सं० 138/20 धारा 323/504/506 भादवि में वारंटी अभियुक्त तोताराम पुत्र छोटेलाल नि० बाईकुआँ थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अ०सं० 183/15 धारा 302/201 में वारंटी अभियुक्तों 1. देव सिंह पुत्र दिलीप 2. गेंदू सिंह पुत्र मान सिंह नि०गण लउवआ थाना सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 430 लीटर अवैध कच्ची शराब, 10 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

| क्र० सं० | थाना | बरामदगी | गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या |
|----------|------------------|----------|-------------------------------|
| 1. | थाना निघासन | 130 लीटर | 03 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 2. | थाना गोला | 120 लीटर | 04 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 3. | थाना मितौली | 110 लीटर | 03 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 4. | थाना मैंगलगंज | 30 लीटर | 03 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 5. | थाना खीरी | 20 लीटर | 02 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 6. | थाना पलिया | 10 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 7. | थाना कोतवाली सदर | 10 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 8. | थाना मैलानी | 05 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| | कुल योग | 430 लीटर | 18 अभियुक्त गिरफ्तार |